न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1 बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी	:	देवेन्द्र सिंह पंवार आर0जे0एस0(डी.जे.केडर)
दीवानी दावा संख्या	:	07/2021
सीआईएस नं.-	:	06/2021
सी.एन.आर. नं.	:	RJBR010000362021

01. दीपक कुमार उर्फ रूपराज आयु 32 वर्ष पुत्र श्री रमेशचन्द जाति प्रजापति निवासी नलका तहसील बारां जिला बारां (राज०)
02. निशा आयु 38 वर्ष पुत्री श्री रमेशचन्द पत्नि श्री मनोज कुमार जाति प्रजापति निवासी रावण जी का चौक, बारां तहसील व जिला बारां (राज०)
03. रेखा आयु 35 वर्ष पुत्री श्री रमेशचन्द पत्नि श्री रोहित जाति प्रजापति निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज०)
04. सरोज आयु 30 वर्ष पुत्री श्री रमेशचन्द पत्नि श्री कृष्णमुरारी जाति प्रजापति निवासी खेड़ली भेडोलिया तहसील बारां जिला बारां (राज०)
05. राधा बाई आयु 60 वर्ष बेवा श्री रमेशचन्द जाति प्रजापति निवासी नलका तहसील बारां जिला बारां (राज०) **–वादीगण–**

:: **बनाम** ::

01. हजारीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री गणेशराम जाति प्रजापति निवासी भदाना प्रजापति किराना स्टोर गांव भदाना जिला कोटा (राज०)
02. कान्ही बाई आयु 70 वर्ष पुत्री श्री गणेशराम पत्नि श्री बंशीधर जाति प्रजापति निवासी कचौरी वाली गली, सरस्वती कॉलोनी, गली नं० 8 कोटा जिला कोटा।
03. पार्वती बाई आयु 65 वर्ष पुत्री श्री गणेशराम पत्नि श्री श्योपाल जाति प्रजापति निवासी कुम्हारों का मोहल्ला थाने के पास, किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
04. नर्बदा बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री गणेशराम बेवा श्री लक्ष्मीनारायण जाति प्रजापति निवासी मैन रोड़, किशनगंज जिला बारां (राज०)
05. रोशन बाई आयु 55 वर्ष पुत्री श्री गणेशराम पत्नि श्री रामपाल जाति प्रजापति निवासी सीमल्या जिला कोटा (राज०)
06. निर्मला बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री गणेशराम पत्नि श्री गोरधन जाति प्रजापति

निवासी शमशान घाट की दूसरी गली, रानपुर जिला कोटा (राज०)

07. दीपा आयु 30 वर्ष पुत्री श्री बलराम पत्नि श्री दिनेश जाति प्रजापति निवासी तालाब पाड़ा बारां जिला बारां (राज०)

08. रिंकेश आयु 27 वर्ष पुत्र श्री बलराम जाति प्रजापति निवासी तालाब पाडा बारां जिला बारां (राज०)

09. डोली आयु 25 वर्ष पुत्री श्री बलराम पत्नि श्री रामचरण जाति प्रजापति निवासी दरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)

10 टिंकल आयु 23 वर्ष पुत्र श्री बलराम जाति प्रजापति निवासी तालाब पाडा बारां जिला बारां (राज०)

11. छुटकी आयु 21 वर्ष पुत्री बलराम पत्नि श्री सोनू जाति प्रजापति निवासी बून्दी बिजौरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज०)

12. उर्मिला आयु 60 वर्ष बेवा बलराम जाति प्रजापति निवासी प्यारेराम जी के मन्दिर के पास, तालाब पाड़ा बारां जिला बारां (राज०)

13. आयुक्त महोदय, नगर परिषद बारां जिला बारां (राज०)

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा बाबत बंटवारा एवं चाहने स्थायी निषेधाज्ञा।</u>

उपस्थित :–

1– श्री बाबूलाल जैन, अधिवक्ता– वादीगण की ओर से।
2– श्री विरेन्द्र गौतम, अधिवक्ता, प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 12 की ओर से।
3– श्री हरिनारायण सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं0–13 की ओर से।
4– प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध **एक पक्षीय कार्यवाही**

–:: <u>निर्णय</u> ::– **दिनांक : 22.04.2024**

1. वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा ''वास्ते बंटवारा एवं चाहने स्थायी निषेधाज्ञा'' न्यायालय जिला न्यायाधीश बारां में प्रस्तुत किया। कालान्तर में यह वाद श्रीमान् जिला न्यायाधीश बारां के आदेश से विधिनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर दिनांक 30.07.2021 को प्राप्त होने पर, दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. वादी के वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कस्बा बारां में प्यारे राम जी मंदिर तालाब पाडा बारां में एक मकान व भूखण्ड स्थित है, जिसकी चतुर्थ सीमायें उत्तर में–मकान श्री शंकर जी, दक्षिण में–आम रास्ता बाद मकान प्रहलाद जी, पूरब में–आम रास्ता बाद प्यारेराम जी का मंदिर का पीछे का दरवाजा, पश्चिम में– गली बाद मकान गणपत कुम्हार है। इस मकान की जो भुजा दक्षिणी

तरफ की है वह 60 फिट है। जो भुजा पश्चिम में है, वह 48 फीट 6 इंच है तथा पूर्वी भुजा 63 फीट 6 इंच है। इसका एक नजरी नक्शा ब्ल्यू प्रिंट भी इस वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जो परिशिष्ट–अ है। इसमें दो टीन शेड कमरे व एक टीन शेड बरामदा तथा एक कच्चा घर बना हुआ है जिनको भी परिशिष्ट–अ में दिखाया गया है तथा यह परिशिष्ट–अ ही विवाद की सम्पत्ति है। परिशिष्ट–अ विवादित सम्पत्ति गणेशराम जी की थी जो फौत हो गये हैं तथा इस वाद के पक्षकारान गणेशराम जी के वारिसान हैं। गणेशराम जी का सजरा वादपत्र की मद नं0 2 में दर्शित है। इस प्रकार विवादित संपत्ति स्वर्गीय गणेशराम जी की थी तथा गणेशराम जी के तीन पुत्र व 5 पुत्रीयां हुयी, जिनमें दो पुत्र रमेशचन्द्र व बलराम फौत हो गये है तथा पुत्र हजारीलाल जीवित है जो प्रतिवादी कम–1 है तथा प्रतिवादी कम 2 ता 6 गणेशराम जी की पुत्रीयां है। वादीगण स्वर्गीय रमेशचन्द्र के वारिसान है तथा स्वर्गीय बलराम के वारिसान प्रतिवादी कम 7 लगायत 12 है तथा गणेशराम जी की 5 पुत्रीयां है। इस प्रकार विवादित संपत्ति मे वादीगण का 1/8 हिस्सा है तथा 1/8 हिस्सा प्रतिवादी कम–1 का तथा 1/8 1/8 हिस्सा प्रतिवादी 2 ता 6 का तथा 1/8 हिस्सा प्रतिवादी कम 7 ता 12 का है। इस प्रकार पक्षकारान का विवादित संपत्ति मे हिस्सा बनता है तथा इसी अनुसार पक्षकारान संपत्ति पर काबिज है तथा इसी अनुरूप बंटवारा करवा पाने के अधिकारी एंव नालिशी है । स्वर्गीय गणेशराम जी ने अपने जीवन काल मे इस संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की तथा बिना वसीयत उनका देहान्त हुआ है तथा उपरोक्त संपत्ति गणेशराम जी ने स्वयं अपनी आमदनी से बनायी है। गणेशराम जी के जीवन काल तक वादीगण एंव प्रतिवादीगण इस संपत्ति का बराबर बराबर रूप से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। इस कारण इस संपत्ति मे प्रत्येक वारिस का बराबर बराबर हक व हिस्सा बनता है। पक्षकारान जाति से प्रजापति कुम्हार है जो हिन्दू है तथा हिन्दू कानून से अनुशासित होते हैं तथा हिन्दू कानून के अनुसार पिता की संपत्ति पर सभी पुत्र व पुत्रीयों का तथा उनके वारिसान का बराबर बराबर हक बनता है। उपरोक्त संपत्ति पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से उपरोक्त संपत्ति का बंटवारा करने के लिये दिनांक 18.10.2019 को कहा किन्तु प्रतिवादीगण ने बटंवारा करने से इन्कार कर दिया एंव प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि वह इस संपत्ति को अपने नाम करवाकर बेचान करेगें तथा वादीगण को इस संपत्ति से बेदखल करेगें। वाद कारण दिनांक 18.10.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को मकान से बेदखल करने की धमकी देने तथा प्रतिवादी कम 13 से मिलकर उपरोक्त संपत्ति का पट्टा जारी करवाने की कहने पर कस्बा बांरा

मे उत्पन्न हुआ। वाद का मूल्याकंन निर्धारित शुल्क पर होकर दावा अंदर मियाद प्रस्तुत है। अंत में वादीगण ने खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया कि– वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित सम्पत्ति जो परिशिष्ट–अ है, में वादीगण का 1/8 हिस्सा तय किया जाकर वादीगण को 1/8 हिस्से पर कब्जा भी जुदागाना दिलवाया जावे तथा प्रतिवादीगया को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि विवादित सम्पत्ति परिशिष्ट–अ की यथास्थिति बनाये रखी जावे तथा सम्पत्ति का हस्तान्तरण किसी अन्य को नहीं करे। खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवायी जावे।

3. प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 12 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में उल्लिखित अधिकांश मदों को स्वीकार कर जबाव दावे की विशेष आपत्तियों में अभिकथन किया कि उक्त विवादित सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रृक सम्पत्ति है जिसमें गणेशराम जी के समस्त वारिसान का समान हिस्सा है। उक्त सम्पत्ति के पूर्वी हिस्से में स्वर्गीय बलराम जी ने अपने हिस्से पर मकान निर्माण करवा रखा है एवं वर्तमान में शेष भाग खाली पडा हुआ है। प्रतिवादी क्रम–12 ने सुरक्षा की दृष्टि से खाली हिस्से पर ईंटे खडक कर टीनशेड करवा रखे हैं। उक्त ईंट व टीनशेड प्रतिवादी क्रम–12 की है। उक्त हिस्से में स्वर्गीय बलराम जी के वारिस उर्मिला बाई, रिंकेश, अंकित उर्फ टिंकल निवास कर रहे हैं। प्रतिवादीगण को स्वर्गीय गणेशराम के वारिसान में 1/8, 1/8 हिस्सा बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अंत में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

4. प्रतिवादी क्रम 13 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में उल्लिखित मद अनुसार तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष आपत्तियों में अभिकथन किया कि प्रतिवादी को उक्त वाद में अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। हस्तगत प्रकरण में वादी ने प्रतिवादी क्रम–13 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है, इसलिए वाद का कोई औचित्य नहीं है। वादीगण ने अपने वद में मात्र यह उल्लेखित किया है, कि विवादित सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में प्रतिवादी क्रम–13 के द्वारा अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर विवादित सम्पत्ति को उनके नाम न किया जावे, इस प्रकार का अनुतोष प्रतिवादी क्रम–13 के संबंध में वादी द्वारा चाहा गया है जो कपोल कल्पित व भविष्यवर्ती है। अंत में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी क्रम–13 के विरूद्ध दावा सव्यय खारिज फरमाया जावे।

5. प्रतिवादी सं0–01 की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं करने एवं उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 14.09.2021 को

प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

6. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1– आया वादपत्र की मद सं0 01 में वर्णित सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है ? –वादीगण–

2– आया वादीगण वादपत्र की मद सं0–01 में वर्णित सम्पत्ति में स्वयं का 1/8 हिस्सा होने बाबत आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी है ? –वादीगण–

3– अनुतोष

7. वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी0ड0 1 दीपक कुमार की साक्ष्य लेखबद्व करवाई गई व दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया।

8. प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिस साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

9. बहस अंतिम सुनी गई। प्रकरण में न्यायालय द्वारा वास्ते अवधारण विवाद्यक विरचित किये गये हैं। न्यायालय हाजा का विवाद्यकवार निर्णय व निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

<u>विवाद्यक सं0 1 व 2</u> :–

''आया वादपत्र की मद सं0 01 में वर्णित सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है''?

''आया वादीगण वादपत्र की मद सं0–01 में वर्णित सम्पत्ति में स्वयं का 1/8 हिस्सा होने बाबत आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी है''?

10. विवाद्यक सं0 1 व 2 को साबित करने का भार हस्तगत प्रकरण में वादीगण पर अधिरोपित किया गया है। उक्त दोनों विवाद्यक का निस्तारण प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के एक ही विवेचन व विश्लेषण के फलस्वरूप किया जाना है। अतः साक्ष्य व विश्लेषण की पुनरावृत्ति न हो, अतः उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम विवाद्यक के अनुक्रम में न्यायालय को यह देखा जाना है, कि विवादग्रस्त सम्पत्ति जो कि वाद पत्र की मद सं0–1 में वर्णित है, वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक

सम्पत्ति है, या नहीं। इस संबंध में जब हम दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं, कि हस्तगत प्रकरण में जहां वादी ने वादपत्र की मद सं0–1 में वर्णित सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 12 की पैतृक एवं अविभाजित सम्पत्ति होना अपने वादपत्र में अभिवर्णित किया है। वहीं प्रतिवादी सं0–2 ता 12 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा अभिवचनों में भी उक्त तथ्य को स्वीकार कर विवादग्रस्त सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति होना स्वीकार किया है तथा उक्त सम्पत्ति उनके पूर्वज गणेशराम में निहित होकर उन्हें उनकी मृत्यु की पश्चात बतौर पैतृक सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होना अभिकथन किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं तथा प्रतिवादी सं0–13 हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के मतानुसार औपचारिक पक्ष के रूप में संयोजित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय वादपत्र की मद सं0–1 में वर्णित सम्पत्ति जो कि कस्बा बारां में प्यारेराम जी मंदिर तालाब पाडा में अवस्थित है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक अविभाजित सम्पत्ति होना उपधारित किया जाता है। अतः इस प्रकार विवाद्यक सं0–1 वादीगण के पक्ष में साबित माना जाता है।

11. जहां तक विवाद्यक सं0–2 के माध्यम से यह तय किया जाना है, कि प्रकरण में वादीगण का उक्त अविभाजित सम्पत्ति में कितना हक व अधिकार है तो उस संबंध में यहां यह स्पष्ट कर देना उचित है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य इस संबंध में कोई विवाद अवस्थित नहीं है, कि वादीगण विवादग्रस्त सम्पत्ति गणेशराम जी की थी तथा गणेशरामजी के वादपत्र की मद सं0–2 में वर्णानानुसार पारिवारिक सजरा अवस्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा भी इस संबंध में कोई आक्षेप अपने जवाबदावा में अभिवर्णित नहीं किया है, बल्कि यह स्पष्टतः अभिकथन किया है कि उक्त विवादित सम्पत्ति में गणेशराम के वारिसान का समान हिस्सा है तथा सभी वारिसान अपने अपने हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। न्यायालय के मतानुसार दोनों पक्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों से शासित होते हैं तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में यह उल्लेखित किया हुआ है, कि हिंदू पुरूष के मामले में कानूनी उत्तराधिकारियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। किसी पुरूष हिंदू के निर्वसीतीय मरने की स्थिति में सम्पत्ति को पूरी तरह से पहली श्रेणी में आने वाले कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जायेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों में पत्नी, बेटा/बेटी, मां, मृत बेटे/बेटी का बेटा/बेटी, मृतक बेटे की विधवा सम्मिलित है। सम्पत्ति को विधवा, मां और प्रत्येक

संतान के मध्य समान रूप से बांटा जायेगा। उक्त उल्लेखित प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के न होने की स्थिति में अधिनियम में उल्लेखित श्रेणी द्वितीय के वारिसान को सम्पत्ति दिये जाने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में विवादित सम्पत्ति स्वर्गीय गणेशरामजी की थी तथा गणेशराम जी के तीन पुत्र एवं पांच पुत्रियां हुई। उक्त में से दो पुत्र रमेश चंद व बलराम फौत हो गये हैं। वादीगण गणेशराम के पुत्र रमेशचंद्र के पुत्र, पुत्री तथा पत्नी है। निर्विवादित दोनों पक्षों द्वारा उल्लेखित पारिवारिक सजरा के अनुसार विवादित सम्पत्ति जो कि गणेशरामजी की थी, की मृत्यु के पश्चात इस प्रकार वादीगण सहित प्रतिवादीगण सं0–1 व प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 6 प्रत्येक का तथा प्रतिवादीगण सं0–7 लगायत 12 का विवादित सम्पत्ति में इस प्रकार 1/8 हिस्सा होना पाया जाता है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में भी उक्त तथ्यों के संबंध में कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी सं0–2 लगायत 12 ने जो आक्षेप अपने जवाब दावा के माध्यम से विशेष आपत्ति में अन्य रूप से दर्ज कराया है उसके संबंध में यह न्यायालय किसी प्रकार का विवेचन किया जाना न्यायोचित नहीं पाता है क्योंकि इस स्तर पर वाद में केवल यह तय किया जाना है, कि वादपत्र में उल्लेखित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है या नहीं तथा उक्त सम्पत्ति में वादीगण का कोई हक व हिस्सा है या नहीं और यदि है तो कितना ?

12. जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण किया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वादीगण विवादग्रस्त सम्पत्ति में गणेशराम में उत्तराधिकारी पुत्र रमेशचन्द्र के हिस्से में आयी सम्पत्ति जो कि 1/8 हिस्सा होती है, को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उक्त विवाद्यक सं0 2 का निस्तारण भी वादीगण के पक्ष में उक्तानुसार किया जाता है।

<u>अनुतोष :–</u>

13. जैसा कि उपरोक्त रूप से उल्लेखित किया गया है, कि वादपत्र की मद सं0–1 में वर्णित कस्बा बारां में स्थित विवादग्रस्त भूमि मकान वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 12 की पैतृक सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पत्ति पूर्व में उनके पिता व पितामह गणेशराम की रही है जिसकी मृत्यु हो जाने के उपरांत हिंदू उत्तराधिकार प्रावधान के अनुसार वादीगण उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति में 1/8 हिस्सा होने के आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उक्त वादपत्र उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री किया जाकर निस्तारित किया जाना न्यायोचित है।

—:: <u>आदेश</u> ::—

14. अतः परिणामस्वरूप वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा बाबत बंटवारा डिक्री किया जाकर इस आशय की प्राथमिक डिक्री पारित कर आदेश प्रदान किया जाता है, कि वादपत्र की मद सं0—1 में वर्णित मकान जो कि प्यारेराम जी का मंदिर तालाब पाडा कस्बा बारां में अवस्थित है, में वादीगण का 1/8 हिस्सा निहित है जिसके संबंध में वह गणेशराम के अन्य उत्तराधिकारियों के साथ बंटवारा करवाये जाने का अधिकारी है।

15. खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें। तदनुसार डिक्री पर्चा बनया जावे।

(देवेन्द्र सिंह पंवार)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम—1 बांरा (राज0)

16. निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया जाकर मुद्रांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

(देवेन्द्र सिंह पंवार)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम—1 बांरा (राज0)